

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 30-5-2015 at time 14:00 Hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 4.235 hect for the construction of Construction of Golim-Pool-Ropa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palthe-Sartoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 8.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : G. Peshwar

Dated: 30-5-2015


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

जिलाधिकारी
चमोली

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 30.5.2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.235 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Golim-Pool-Ropa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palthi-Sartoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 8.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.235 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र 232

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.235 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 21.5.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1- श्री <u>अवधेश कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>शिवानन्द सुग्गा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>आर.के. विनोद</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री <u>सुरेश सिंह पवार</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत सिकोटी नामक स्थान से गोलिम, रोपा से ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.235 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

A. K. Singh
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष
जनपद चमोली

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

[Signature]
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

[Signature]
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सदस्य
रंगतोली विखंड-दशोली
(चमोली)

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.92 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 3.92 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3.92 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

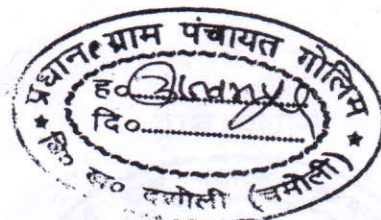


अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 25/03/2015 को ग्राम पंचायत गोलिम-रोपा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।



ग्राम प्रधान



(नाम) (स्थान)

नन्दकिशोर शर्मा

— नन्दकिशोर शर्मा

— नन्दकिशोर शर्मा

सीतादेवी
गीता देवी जग हवलदार

जगदीश लाल
नेरु लाल शर्मा
जगदीश लाल

(लालू (प्रधान))

जगदीश

PHOTOCOPY
ATTESTED

AE

बहाक बमिस्ता
डा. व. लो. नि. दि.
पोस्टमन

आज दिनांक 11.03.15 को ग्राम पंचायत हरमनी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

① केशव सिंह

② मोहन सिंह

③ राजपाल सिंह

④ मोहन सिंह



PHOTO COPY
ATTACHED

AE

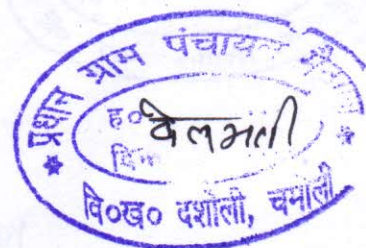
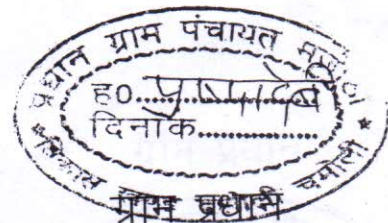
सहायक जनिक्ता
डा० व० लो० नि० वि०
पोस्टेड



अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 13.3.15 को ग्राम पंचायत सजोषी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

1. गोपालकिंद वल्लभ Signature
2. शिशुपालकिंद वल्लभ Signature
3. सुरेशकिंद वल्लभ Signature



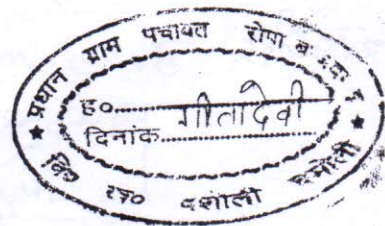
PHOTOCOPY
ATTACHED

AF
सहायक जमिंदार
डा. ड. लो. नि. वि.
गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 15.12.15 को ग्राम पंचायत रोपा-वाल्मिकी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम प्रधान



1. प्रमोद सिंह
2. विनोद सिंह
3. [Signature]
4. देवेन्द्र सिंह
5. जमल सिंह
6. दर्शन सिंह
7. सुकेश
8. प्रकाश सिंह
9. [Signature]
10. मोहन सिंह
11. गजेंद्र सिंह
12. प्रमोद सिंह
13. [Signature]
14. [Signature]

Photocopy
Attested
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

जो जो रोड को सब बोलिये से जालीमारा तक
हुई कि जिसमें को हमारे ग्राम समा समुदाय होकर
बस्ता व जालीमारा तथा रोपा-चलथर से आनेवाला
रोड पर कोई आपत्त नही लगा रहे है

महोदयजी से निवेदन है कि इस रोड के कार्य
को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाये को
हम को जरूर

ग्राम प्रधान रोपा-चलथर
को परानता देती
के निवेदन



PHOTOCOPY
ATTESTED
(20) AE

- 21 जयदीप
- 22 जयदीप
- 23 शारदा देवी
- 24 Jyoti Prasad
- 25 सुनील देवी
- 26 Anshu Kumar
- 27 राजेश्वरी देवी
- 28
- 29 के. के.
- 30 कार्तिका
- 31 राजेश्वरी देवी

- 1 Himachal Shiksha Lal
- 2 गन-दराल
- 3
- 4 सुरेश लाल
- 5 आशाराम
- 6 मुकन्द लाल
- 7 ललित लाल
- 8 प्रकाश लाल
- 9 सतीश लाल
- 10 अशोक शर्मा
- 11 गिरिश चन्द
- 12 ग. ग. लाल
- 13 वरनन्द लाल
- 14 प्रकाश चन्द
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31